M.L.S. College Sarisab-Pahi, Madhubani.
(L.N.M.U., Darbhanga)
Department of Philosophy
Dr. SARITA KUSHWAHA

Theories of Punishment (दण्ड के सिद्धान्त) (2)

प्रतिकार का सिद्धान्त (Theory of Retribution)

इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड- विधान नियमों की रक्षा के लिये किया जाता है। नियम भंग करने वाला दण्ड का पात्र है। नियमों की रक्षा के लिये और सामाजिक सुरक्षा के लिये नियम भंग करने वालों को दण्ड देना आवश्यक है। इस सिद्धान्त को ही प्रतिकारवाद या प्रतिकार का सिद्धान्त कहा जाता है। इसके अनुसार अपराधी उसी अनुपात में दण्ड का अधिकारी है अथवा कष्ट प्राप्त करने का अधिकारी है जितना कष्ट उसने दूसरों को दिया है। जैसे- हत्या करने वाले को मृत्यु-दण्ड अवश्य मिलना चाहिए। अपराधी को जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि उसने किसी अन्य के जीने के अधिकार को छीना है। इसी दृष्टि से इसे प्रतिकारात्मक माना जाता है। इसमें 'जैसे को तैसा' का विधान है। अतः यह एक प्रकार से बदला लेने (Retribution) का सिद्धान्त माना जाता है। ओल्ड टेस्टामेण्ट (old Testament) में इस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहा गया है कि- 'आँख के लिए आँख और दाँत के लिए दाँत' (An eye for eye and tooth for tooth) का सिद्धान्त बताया गया है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति किसी की आँख निकाल ली या दाँत तोड़ दिये तो बदले में उस व्यक्ति का भी आँख निकाल लिया जाये अथवा दाँत तोड़ दिया जाय।

अतः नियमों की सुरक्षा के लिए नियम भंग करने वाले

Scanned with CamScanner

को दण्ड अवश्य मिलना चाहिए। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक काण्ट (Kant) का मत है कि 'दण्ड तो अपराध का फल है और किसी कर्म का फल अवश्य मिलना चाहिये। अपराधी किसी न्यायालय से दण्ड पाता है क्योंकि अपराध कर उसने दण्ड को अर्जित किया है। अपराधी ने पाप किया है तो उसने पाप का फल भी अर्जित किया है। उसकी कमायी हुई चीज तो उसे मिलनी ही चाहिए।' अरस्तू ने दण्ड को अभावात्मक पुरस्कार स्वीकार किया है। बाइबिल में कहा गया है कि 'पाप का पारिश्रमिक मृत्यु है।' इस सम्बंध में ब्रैडले (Bradley) का कहना है कि हम दण्ड किसी दूसरे के कारण नहीं, वरन् इसलिए भुगतते है कि हम इसके योग्य है। यदि पाप को छोड़कर किसी अन्य कारण से दण्ड दिया जाता है तो यह अनैतिक है, अन्याय है। अतः दण्ड के लिये दण्ड दिया जाता है। सर स्टीफेन का मानना है कि दण्ड-विधान और प्रतिकार में वही सम्बंध है जो विवाह और प्रेम में है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि नियमों की प्रभुता तथा सामाजिक सुरक्षा दोनों के लिये दण्ड-विधान आवश्यक है। यही प्रतिकारवाद की मान्यता है।

अब यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि दण्ड देने में केवल अपराध पर ही विचार होना चाहिए या अपराध की परिस्थितियों पर भी? इसके उत्तर में हम प्रतिकारवाद के दो भेदों को देखते है -

① कठोरतावाद ② शान्तवाद

कठोरतावाद के अनुसार अपराधी को अपराध के लिए दण्ड मिलना ही चाहिए। अपराध करने की परिस्थितियों का दण्ड से कोई संबंध नहीं होता। यह सिद्धान्त 'आँख के बदले आँख और दाँत के दाँत' का समर्थक है। नियमों के अनुकूल दण्ड देने में

Scanned with CamScanner

परिस्थिति और व्यक्ति पर विचार करना आवश्यक नहीं है। अपराध अपने आप में पूर्ण है इसके लिए किसी अन्य विचार की आवश्यकता नहीं है। यदि परिस्थिति पर ध्यान दिया तो अपराध के अनुकूल दण्ड देने में बाधा उत्पन्न होगी।

शान्तवाद के अनुसार अपराधी को दण्ड तो मिलना चाहिए, परन्तु अपराध की परिस्थितियों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। किसी के दबाव के कारण किया अनुचित कार्य और जानबूझकर किया अनुचित कार्य में दोनों ही अनुचित कार्य करते है परन्तु दोनों में भेद है। कोई भूख मिटाने के लिए चोरी करता है, तो कोई धन को एकत्र करने के लिए करता है। दोनों ही अपराध है परन्तु दोनों की परिस्थिति में अन्तर है। यदि किसी अन्य के दबाव में अपराध किया गया है तो दण्ड की मात्रा कम होनी चाहिए अपेक्षा जिसने जानबूझकर अपराध किया हो।

उपरोक्त दोनों मतों में से वर्तमान दार्शनिक शान्तवाद का ही समर्थन करते है। उनके अनुसार दण्ड-विधान करने में अपराधी के अभिप्राय, बाह्य परिस्थिति आदि सभी पर विचार करना चाहिए। दण्ड, बदला लेना या प्रतिशोध की भावना से नहीं देना चाहिए। प्राचीन काल में शस्त्र छोटे थे, तो राजा ही दण्ड देता था और वह अपराध के अनुरूप ही दण्ड देता था। परन्तु वर्तमान में व्यक्ति को सुधारने के लिए दण्ड दिया जाता है ताकि वह पुनः अपराध न करें। अतः दण्ड-विधान शान्त ही होना चाहिए।

प्रतिकार का सिद्धान्त: आलोचना (Theory of Retribution: Criticism)

इस सिद्धान्त की कुछ दार्शनिकों ने आलोचनायें भी की है जो इस प्रकार है:-

(1) प्रतिकारवाद के अनुसार दण्ड को किये गए पाप का पारिश्रमिक माना गया है, परन्तु किये गये अनुचित कर्म के अनुसार दण्ड की

Scanned with CamScanner

मात्रा का निश्चय करना कठिन है।

(2) नियमों की रक्षा के लिए दण्ड का विधान है, परन्तु यह आवश्यक नहीं कि दण्ड पाकर अपराधी पुनः अपराध न करे।

(3) प्रतिकारवादी सिद्धान्त अव्यावहारिक है। इसमें अपराधी को दण्ड दिया जाता है, परन्तु अपराध के कारणों को दूर नहीं किया जाता।

(4) प्रतिकारवाद में क्षमा, सहानुभूति आदि का कोई स्थान नहीं, परन्तु अपराध को रोकने और अपराधी का सुधार करने के लिए इन गुणों की नितान्त आवश्यकता है।

Savita Kushwaha
25/04/2020

Scanned with CamScanner